श्री दुर्गानन्द झा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता, मधुबनी द्वारा दिनांक–30.11.2018 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर के राजस्व न्यायालय का किये गये निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी।

वर्तमान में भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर का पद रिक्त है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर श्री शंकर शरण ओमी, बि0प्र0से0, ही भूमि सुधार उप समाहर्ता के प्रभार में हैं।

1– भूमि विवाद निवारण अधिनियम के तहत वादों की स्थितिः–

वाद पंजी संधारित है। कुल 10 भू–विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वाद दायर किन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता के पदस्थापन नहीं होने के कारण लंबित चला आ रहा है।

4– दाखिल खारिज अपीलः–

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–7 के तहत अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खरिज वादों में सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किया जाता है। वाद पंजी संधारित है। कुल 02 दाखिल खारिज अपील वाद लंबित है।

5– लगान निर्धारणः–

वाद पंजी संधारित है। कुल 11 लगान निर्धारण आवेदन लंबित है। निदेशित किया गया कि वादों की सुनवाई कर शीघ्र निष्पादित किया जाय।

6– भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–16 (3) वादः–

वाद पंजी संधारित है। कुल 03 वाद लंबित है।
लंबित वादों में सुनवाई कर शीघ्र निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया।

7– बटाईदारी वादः–

वाद पंजी संधारित है। बी0टी0एक्ट की धारा–148 के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में बटाईदारी वाद आवेदन दायर किया जाता है। कुल 03 वाद आवेदन दायर है। लंबित वादों की सुनवाई कर शीघ्र निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया।

8– नीलाम पत्र वादः–

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 के पूर्व लंबित	2018–19 में दायर	कुल दायर वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	कुल लंबित	सन्निहित राशि
166	00	166	00	00	00	166	11339245.00

लंबित वादों का अधियाची विभागवार विवरणः—

क्रमांक	अधियाची विभाग	दायर वाद	निष्पादित	लंबित	सन्निहित राशि (लाख में)
01	भा0स्टेट बैंक,	93	00	93	6251514.00
02	भा0स्टेट बैंक ए0डी0बी0	73	00	73	5087731.00
कुल		**166**	**00**	**00**	**11339245.00**

लंबित नीलाम पत्रों की नियमित सुनवाई कर निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया। नीलाम पत्र वादों में अधियाची विभाग की लम्बी राशि सन्निहित है जिसकी वसूली आवश्यक है।

8— साहुकारी वाद अपील अभिलेख पंजीः

वाद पंजी संधारित है। एक भी अपील वाद दायर नहीं है।

9— भूमि बन्दोवस्ती अभिलेख पंजीः

वाद पंजी संधारित है। बताया गया कि एक भी भूमि बंदोवस्ती का अभिलेख अनुमण्डल राजस्व शाखा में लंबित नहीं है।

10— सीमांकन वाद अपीलः

बताया गया कि सीमांकन का एक भी अपील वाद लंबित नहीं है।

11— भूदानः—

1.4.18 तक लंबित	2018—18 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	00	00	00	00	00	00	00

बताया गया कि एक भी मामला भूदान यज्ञ से संबंधित सम्पूष्टि हेतु लंबित नहीं है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी, के न्यायालय कार्य निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अभिलेखों का संधारण उपस्थापक द्वारा सही ढ़ंग से नहीं किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं अभिरूचि लेकर वाद अभिलेख पंजी एवं अभिलखों को दुरूस्त कराते हुये नियमित रूप से न्यायालय का संचालन कर वादों का निष्पादन निर्धारित समय—सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाय। साथ ही पारित आदेश को उसी दिन जिला के पोर्टल पर अपलोड भी कराया जाय। नीलाम पत्र के लंबित वादों का नियमित सुनवाई कर निष्पादन त्वरित गति से किया जाय।

11/1/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 09(50)/जि0रा0 मधुबनी दिनांक 30.11.18

प्रतिलिपिः—भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यकय कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी,जिला नीलाम पत्र शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—समाहर्ता, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।